<u>पंजीकृत पावती</u> उल्लंघन पत्र

1/21825/2023





भारत सरकार Government of India खान मंत्रालय Ministry of Mines भारतीय खान ब्यूरो Indian Bureau of Mines

माखुपुरा औद्यौगिक क्षेत्र, Makhupura Industrial Area, अजमेर —305002(राजस्थान) Ajmer- 305002 (Rajasthan)

दिनांक: 14.12.2023

Mine Code: 38RAJ20007

संख्या:E/4380/MCDR-MiFLOLST/14/2023-AJM-IBM RO AJM

प्रेषित: खान एजेंट,धनप्पा चूना पत्थर खान,

मेसर्स जे के व्हाइट सीमेंट वर्क्स,

पोस्ट ऑफिस -गोटन, तहसील-मेइता सिटी,

जिला- नागौर (राजस्थान) 342 902

Email: gotan@jkcement.com, deepak.kalla@jkcement.com

विषय: Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your **Dhanappa Limestone Mine** (Lease area 400.0 Hect.) situated in Nagaur District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 03.11.2023 by the undersigned in presence of Sh. Deepak kalla, Mines Agent & HOD(Mines):

wines Agent & NOD(Mines).	
Rule	Nature of violation observed in detail
No.	
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review
	Mining Plan (Approved on 27.02.2019):-
	1) Backfilling extended in Pit 3A towards north east side, in Pit 3E towards south western side, in
	Pit 2A towards north eastern side and in Pit 1C towards north eastern side beyond the proposed
	backfilling location.
	2) As per approved review of mining plan, the area put to use at the end of review of mining plan
	period(up to 2023-24) under head mining is proposed 103.66 hect & under head waste dumping
	is proposed 17.96 hect. whereas in submitted annual retrun for the year 2022-23, the area put to
	use reported under mining is 111.334 hect. & under waste dumping is 20.050 hect.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरूद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03.अत: आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

(डी.आर. गुर्जर) उप खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित: -

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा) ।
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर ।
- सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, गोटन, जिला नागौर ।
- 4. रक्षित पत्रावली ।